तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल
	09/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य [illegible] में व्यस्त [illegible] गई गत [illegible] 7/10/25 होने [illegible] आदेश [illegible] को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
	7/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० । वास्ते डैतबार तामील एवं रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई पत्रावली दिनांक 14/10/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	14/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 23/10/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
	23/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 3646 दिनांक 17/10/25 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी सं० 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं। ना ही उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उप० आया। अतः अप्रार्थी सं० 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19/11/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

मुकदमा नम्बर 78/2025
दर्ज दिनांक 30.6.2025
निर्णय दिनांक 19.11.2025

उनवान

1. सावित्री बाई फूले सामाजिक एवं शैक्षिक विकास संस्थान बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान जरिये अध्यक्ष हेमलता पत्नि दिनेश कुमार सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 39 करनावरिया की ढाणी बांदीकुई तहसील बांदीकुई दौसा।

प्रार्थीया ....

बनाम

1 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान

अप्रार्थी ....

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत सीमा ज्ञान चिन्ह पत्थरगढी)

निर्णय

प्रकरण निर्णय दिनांक 19.11.2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत स्थायी सीमा चिन्ह पत्थरगढी का जरिये वकील हरिवंश सैनी एडवोकेट द्वारा न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी एक रजिस्टर्ड संस्थान है जो सामाजिक एवं शैक्षिक विकास का कार्य करती है। प्रार्थी संस्था सावित्री बाई फूले सामाजिक एवं शैक्षिक विकास संस्थान की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 93 पुराना 46 खसरा नं. 261 रकबा 0.48 है. कुल किता 01 कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर वाके ग्राम झील की ढाणी नन्देरा पटवार हल्का नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा प्रार्थी संस्था की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी संस्था की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि वर्णित चरण नम्बर 01 प्रार्थना पत्र के भूमि खाता संख्या नया 93 पुराना 46 खसरा नम्बर 261 रकबा 0.48 हैक्टे कुल किता 01 कुल रकबा 0.48 हैक्टे भूमि से लगते हुए अन्य खातेदारान की खातेदारी की भूमि के पडौसी खातेदारान द्वारा भूमि की बुवाई व जुताई के समय व डौल पाल बांधते समय भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद उत्पन्न किया जाता रहा है। तथा प्रार्थी संस्था की खातेदारी की भूमि से अन्य पडौसी खातेदरान की भूमि मिली हुई होने के कारण पडौसी खातेदारान प्रार्थी संस्था की भूमि की सीमाओ को लेकर आये दिन झगडा फसाद कर हैरान परेशान

Scanned with OKEN Scanner

करते है। पडौसी खातेदारान के द्वारा प्रार्थी संस्था की भूमि की सीमाओ को लेकर किये जाने विवाद को समाप्त करने के लिए प्रार्थी संस्था ने जरिये अध्यक्ष अपनी भूमि की सीमाओ के सीमाज्ञान के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार बांदीकुई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारियो द्वारा मौके पर प्रार्थी व अन्य पडौसी खातेदारन की उपस्थिति में किया गया व मौके पर प्रार्थी संस्था की भूमि के सीमा चिन्ह कायम किये गये लेकिन पडौसी खातेदारान ने राजस्व कर्मचारियो द्वारा अंकित किये गये सीमा चिन्हो को मौके से हटा दिया तथा लगातार सीमा चिन्हो का उलंघन कर रहे है एवं तारबन्दी भी नही करने दे रहे है तथा मना करने पर लडाई झगडे पर आमादा हो जाते है ऐसी सूरत मे पक्षकारान की आराजीयात की सीमाओ के विवाद के स्थाई समाधान के लिये प्रार्थी संस्था की आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना कानूनन न्यायोचित है। ऐसी सूरत में प्रार्थी संस्था की खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 93 पुराना 46 की राजस्व रिकार्ड व नक्शा सीट अनुसार जरिये अप्रार्थी संख्या 01 मौके पर पत्थर गढी की जाकर स्थाई चिन्ह स्थापित करवाया जाना न्यायोचित एवं लाजमी है। प्रार्थी संस्था ने अपनी आराजीयातम का सीमाज्ञान करवा रखा है जो तहसीलदार बांदीकुई के आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो ने पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान मौके पर किया नकल मौका पर्चा सीमाज्ञान संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 को आदेशित फरमाया जावे की वह स्वंय मौके पर खसरा नम्बर 261 रकबा 0.48 हैक्टे. कुल किता 01 कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर वाके ग्राम झील की ढाणी नन्देरा तहसील बांदीकुई की सीमाओ की अति शीघ्र पत्थरगढी करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी संख्या 01 की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर उनके पत्रांक 9646 दिनांक 17.10.2025 के रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 261 रकबा 0.48 है0 का सीमा ज्ञान दिनांक 23.05.2025 करवाया गया था। खसरा नम्बर 261 उत्तरी मेढ की तरफ 0.10 है. भूमि पर दीगर व्यक्तियो का कब्जा होना अवगत करवाया गया।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में दिनांक 23.05.2025 फर्द मौका ग्राम झील की ढाणी की प्रमाणित प्रति मौजुद है। राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम झील की ढाणी खाता सं. नया 93 पुराना 46 के प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार हैं। फर्द मौका ग्राम झील की ढाणी दिनांकः 23.05.2025 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आरएक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, फर्द मौका वाके ग्राम झील की ढाणी दिनांकः 23.05.2025 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है कि एवं आदेश दिया जाता है कि भूमि खाता संख्या नया 93 पुराना 46 खसरा नं. 261 रकबा 0.48 है. कुल किता 01 कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर वाके ग्राम झील की ढाणी नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा की मुताबिक फर्द मौका ग्राम झील की ढाणी दिनांक 23.05. 2025 के विधिवत केवल पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित

Scanned with OKEN Scanner

कर करावें। कब्जे की कार्यवाही नहीं करें।पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner